निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 230) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–07/2021–2132/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 05] 2021]

fcgkj fofu;kx vf/kdkb| 0;; (1984-85) vf/kfu;e] 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. laf{kIr ukeA& यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984—85) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2- 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 39,910 रूपये की निकासी।

बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ—8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 39,910/— (उनतालीस हजार नौ सौ दस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3- fofu;kxA& इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

vuqlwph

¼n[kas /kkjk,a 2 ,oa 3½

foÙkh; o"k 1984&85					vf/kdkb| 0;; dh jde ¼:i;s eas½		
Øe la[;k	vuqnku@ fofu;kx la[;k	lsok;sa vkSj iz;kstu ftuls fofu;kx lacaf/kr gSA	foHkkx dk uke	jktLo@ iwath	fcgkj fo/kku lHkk }kjk fn;s x;s vuqnku	jkT; dh lafpr fuf/k ij Hkkfjr	dqy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वास्थ्य	पूंजी	-	**39910**	**39910**
				dqy	-	**39910**	**39910**

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 230-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in